COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(6)

न्यायालय श्रीमान् म.प्र. राजस्व मंडल, ग्वालियर म.प्र.

निग. 520 / III / 10

1. छोटे लाल
2. बिहारी तनय — तनय श्री जवाहर सिगरहा
3. श्याम लाल
4. कृष्णा
5. जगदीश
6. रामनाथ — पुत्रगण मंगल सिगरहा
7. बृजलाल
8. रामवती
9. लालमन
10. बृजभान
11. गयादीन — पुत्रगण कृष्णा सिगरहा
12. कताहूर

सभी निवासी ग्राम जीवला, तह. हुजूर जिला रीवा, म.प्र.

...............निगराकार/आवेदक गण

बनाम

1. संपत कुमार तनय जगदीश प्रसाद।
2. लक्ष्मण प्रसाद दुबे तनय सुर्दशन राम।
3. हीरा कुमार दुबे तनय लक्ष्मण प्रसाद दुबे।
4. भास्कर प्रताप सिंह तनय स्व. कनरल जर्नादन सिंह।
   सभी निवासी ग्राम बदराव, तह. हुजूर जिला रीवा, म.प्र.।
5. दशरथ तनय मद्दू कोल।
6. सीताराम तनय समय लाल।
7. मट्टे तनय परदेशी कोल, सा. – ललपा, तह. हुजूर जिला रीवा, म.प्र.।
8. ईश्वर दीन तनय रघुवीर कोल, सा. – समान, तह. हुजूर जिला रीवा, म.प्र.।
9. जंगलिया कोल तनय नामालूम, सा. – ललपा, तह. हुजूर जिला रीवा, म.प्र.।
10. शासन म.प्र.।

............गैरनिगराकार/अनावेदक गण

आज श्री त्रिपाठी 16-4 को प्रस्तुत
15-4-10
अवर सचिव
राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर
कमलेश त्रिपाठी (एड.)
रीवा
11-4-10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 520–तीन/2010 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–1–2015	रेस्टो0 प्रकरण कमांक 1986–तीन/14 में पारित आदेश दिनांक 5–1–15 के अनुपालन में यह निगरानी पुनः नम्बर पर ली गई। 2/ आवेदक अभिभाषक श्री लवलेश त्रिपाठी उपस्थित। अनावेदक कं 10 शासन की ओर से श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित। दोनों अभिभाषकों को ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। 3/ पुनर्स्थापन हेतु आवेदन की सुनवाई के समय प्रकरण में आवेदक अभिभाषक को अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित दस्तावेज पेश करने निर्देश दिये गये थे, जिसके पालन में आवेदक अभिभाषक द्वारा स्वयं के गम्भीर रूप से बीमार होने के कारण समय पर न्यायालय में उपस्थित नहीं रह पाने के प्रमाणस्वरूप मूल मेडीकल सर्किटफिकेट एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत मूल पुनर्स्थापन आवेदन की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 2–2–2010 में आवेदक द्वारा 7–11–03 को अदम पैरवी में खारिज प्रकरण के पुनर्स्थापन हेतु आवेदन विलम्ब से दिनांक 7–12–2009 को दिये जाने का लेख किया है जबकि वास्तविक रूप से आवेदक द्वारा दिनांक 5–12–2009 को अपर आयुक्त न्यायालय में पुनर्स्थापन आवेदन प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित समय–सीमा के भीतर था। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा यह भी तर्क दिया कि अभिभाषक की त्रुटि के लिए पक्षकार को दण्डित नहीं किया जाना चाहिए। 4/ इस प्रकरण में अदम पैरवी में खारिज करने के	

आदेश के पूर्व आदेश पत्रिका में अभिलेख मंगाये जाने एवं अनावेदकों को सूचना जारी किये जाने के आदेश दिये गये थे, उक्त आदेश पर कार्यवाही होने के पूर्व ही प्रकरण अदम पैरवी में खारिज हो गया। आज आवेदक अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की। जिस पर आवेदक एवं अनावेदक शासकीय अभिभाषक के तर्क भी श्रवण किये गये हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा दिनांक 5–12–2009 को पुर्नस्थापन आवेदन अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया था, जो त्रुटिवश अपर आयुक्त के आदेश में 7–12–2009 टंकित हो गया है। आवेदक द्वारा पुर्नस्थापन आवेदन निर्धारित समय–सीमा में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था और अनुपस्थिति का कारण भी दर्शाया था। आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकलन से तथ्य स्पष्ट हो चुका है कि अभिलेख मंगाने जाने एवं शेष अनावेदकों को सुनना आवश्यक नहीं है। चूंकि अपर आयुक्त ने अपने आदेश में अभिलेख से प्रकट त्रुटि की गई है। अदम पैरवी में प्रकरण निरस्त होने से प्रकरण में गुण–दोषों पर निर्णय नहीं हो सकता जिससे आवेदक को क्षति हो सकती है, अतः उक्त तथ्यों पर विचार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 2–2–10 निरस्त करते हुये आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को पुनर्स्थापित कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर उपलब्ध कराने के उपरांत गुण–दोष पर निर्णय लेने का आदेश देते हुये प्रकरण अपर आयुक्त को वापस किया जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य